झारखंड सरकार
ऊर्जा विभाग

–:: **अधिसूचना** ::–

अधिसूचना संख्या–56 रॉंची, दिनांक–10-01-2014

I.E.R.C. Ranchi
Dy. No. 721
Dated 13-1-14

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
(अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद, 166 के खण्ड (2) में दी गई शक्तियों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 180 (2) में प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2014 बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :–

   (क) यह नियमावली झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2014 कहलाएगी।

   (ख) यह नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. मूल नियमावली के नियम–18 में निम्नांश का समावेश किया जाता है:–

   "यदि किसी समय अध्यक्ष का पद रिक्त हो एवं उस दौरान किसी सदस्य को सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है तो नवनियुक्त सदस्य पदभार ग्रहण करने से पूर्व मंत्री, ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक .... रॉंची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसकी 200 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 57 रॉंची, दिनांक 10/01/2014

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली/अध्यक्ष/सदस्य (अभियांत्रिकी), झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉंची/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रॉंची/सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/01/14
प्रधान सचिव